पत्रांक : 2प/वि०–17–02/2026/13476/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

गोविन्द चौधरी,
उप सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 22/9/2026

विषय : सात निश्चय–03 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण से संबंधित योजना को **GPDP** में शामिल करने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक–1344 दिनांक 02.02.2026, पत्रांक–7986 दिनांक 22.05.2026 एवं पत्रांक–10855 दिनांक 22.07.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सात निश्चय–03 (2025–30) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के बिन्दु पर ग्राम पंचायतों के सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम निर्माण करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है।

विदित हो कि पूर्व में विभागीय पत्रांक–10855 दिनांक 22.07.2026 के माध्यम से शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु इसे GPDP में शामिल करने का निदेश दिया गया था।

अतएव निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों द्वारा सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम निर्माण करने से संबंधित योजना को **GPDP** में शामिल कर निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

22/9/26

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–02/2026/13476/पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–02/2026/13476/पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

पत्र सं0–2प/वि0–17–02/2026/ 7986 /पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग।

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
सचिव,
पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 22/5/2026

विषय : सात निश्चय–03 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से कराने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक–1344 दिनांक 02.02.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सात निश्चय–03 (2025–2030) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के बिन्दु पर ग्राम पंचायतों के सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम निर्माण करने के संबंध में निदेश निर्गत है।

2. इस संबंध में मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–1587 दिनांक 16.12.2025 के माध्यम से सात निश्चय–03 (2025–2030) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत है। जिसके अंतर्गत सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living) के तहत् आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर कार्य किया जाना है।

3. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध करते हुए गाँवों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पंचायतों को सौंपी गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया है। इसमें स्थानीय स्व–शासन को सुदृढ

करने तथा ग्रामस्तर पर जिम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।

4. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–22 में ग्राम पंचायत के कार्यों का प्रावधान किया गया है। उक्त धारा की कंडिका–22(XVIII) में ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण के तहत् शमशानों एवं कब्रगाहों के अनुरक्षण तथा संचालन का कार्य किया जाना है।

इस क्रम में ग्राम पंचायतों में अवस्थित सरकारी भूमि पर मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के निर्माण के निमित्त स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा मानक प्राक्कलन एवं नक्शा तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम का मानक प्राक्कलन ₹22,17,000.00 (बाईस लाख सत्रह हजार रूपये) मात्र है।

5. मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम निर्माण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया अपनाई जानी है :–

(i) **भूमि** :

ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवस्थित एवं संचालित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम का ही निर्माण किया जायेगा।

(ii) **अधिसंरचना** :

(क) शवों के दाह से पूर्व अंत्येष्टि से संबंधित क्रिया कर्म हेतु दो चबूतरा (Ritual Platform) का निर्माण किया जायेगा।

(ख) लकड़ी के माध्यम से अंत्येष्टि हेतु शेड अंतर्गत दो दाहस्थल का निर्माण किया जायेगा।

(ग) प्रतीक्षा हेतु शेड का निर्माण।

(घ) संचालन एवं देखरेख हेतु खुला बरामदा सहित एक कमरा का निर्माण किया जायेगा।

(ड.) स्वच्छ पेयजल हेतु बोरिंग एवं टंकी का निर्माण। बोरिंग का अधिष्ठापन कंडिका–घ में अंकित कमरा के अंदर ही किया जायेगा।

(च) दो शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण।

(छ) मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम की घेराबंदी।

घेराबंदी में सुनिश्चित किया जायेगा कि मुख्य द्वार के दोनों तरफ कुछ अंशों को छोड़कर शेष क्षेत्र की घेराबंदी पिलर एवं Wire Mesh Fencing से किया जाए तथा घेराबंदी के अंदर चारो तरफ दो पंक्तियों में वृक्षारोपण कराई जाए। वृक्षारोपण एवं उसकी घेराबंदी, फेंसिंग (वार्वेड वायर) का कार्य विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अलग से योजना लेकर नियमानुसार कराया जाएगा।

मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के क्षेत्रफल एवं अंत्येष्टि हेतु लाये जानेवाले शवों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत उपर्युक्त निर्माण किये जानेवाले अधिसंरचनाओं की संख्या/क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकती हैं।

(iii) **राशि की व्यवस्था :**

(क) वृक्षारोपण एवं उसकी घेराबंदी, फेंसिंग (वार्वेड वायर) के कार्य का भुगतान विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) की राशि से नियमानुसार किया जाएगा।

(ख) मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के शेष घटकों का निर्माण राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य योजना मद अन्तर्गत ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

6. ग्रामीण क्षेत्र मे अवस्थित प्रखंड मुख्यालय ग्राम पंचायत में मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण पंचायत समिति द्वारा कराया जाएगा।

7. इसी प्रकार जिलान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित वैसे प्रमुख मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम, जहाँ अधिक संख्या में शवों की अंत्येष्टि की जाती है, का चयन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम की सूची जिला परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण जिला परिषद् द्वारा कराया जायेगा।

8. जिला परिषद् के माध्यम से निर्माण कराये जाने वाले मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

अतएव मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मानक प्राक्कलन एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने हेतु सभी संबंधितों को निदेशित किया जाए।

अनुलग्नक : मानक प्राक्कलन एवं नक्शा की प्रति।

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग

(पंकज कुमार) 21/05/2026
प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–02/2026/7986/पं०रा० पटना, दिनांक 22/5/2026
प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/26
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–02/2026/7986/पं०रा० पटना, दिनांक 22/5/2026
प्रतिलिपिः सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–02/2026/7986/पं०रा० पटना, दिनांक 22/5/2026
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

पत्र सं0—2प / वि०—17—02 / 2026 / 1344 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 2/2/2026

विषयः— सात निश्चय—03 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह / मुक्तिधाम का निर्माण करने के संबंध में।

प्रसंगः— मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प—सह—पठित ज्ञापांक—1587 दिनांक 16.12.2025 एवं विभागीय पत्रांक—470 दिनांक 12.01.2026 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे। उक्त संकल्प के माध्यम से सात निश्चय—03 (2025—2030) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम / नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत मार्ग—दर्शन निर्गत है।

उक्त संकल्प की कंडिका—7 के अंतर्गत सबका सम्मान—जीवन आसान (Ease of Living) के तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर कार्य किया जाना है।

आप यह भी अवगत हैं कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध करते हुए गाँवों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पंचायतों को सौंपी गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया है। इसमें स्थानीय स्व—शासन को सुदृढ करने तथा ग्राम—स्तर पर जिम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।

कृ०पृ०उ०

D:\VITTE 2026\RAKESH SIR\ALL LETTER.docx

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–22 में ग्राम पंचायत के कार्यों का प्रावधान किया गया है। उक्त धारा की कंडिका–22(XVIII) में ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण के तहत शमशानों एवं कब्रगाहों के अनुरक्षण तथा संचालन का कार्य किया जाना है।

इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण करने तथा शवदाह गृह/मुक्तिधाम स्थल पर आम नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शवदाह गृहं/मुक्तिधाम स्थल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवस्थित शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।

शवदाह गृह/मुक्तिधाम स्थल के निर्माण का यह उद्देश्य है कि शव की अंत्येष्टि हेतु उचित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके तथा शव के साथ उपस्थित जनों को भी मूल भूत सुविधाएं यथा पेयजल एवं शौच की व्यवस्था किया जा सके, ताकि प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के इसका उपयोग किया जा सके। साथ ही मृतक का मृत्यु प्रमाण–पत्र तैयार करने में भी सहुलियत होगी।

उपर्युक्त के आलोक में शवदाह गृह/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु निम्नवत् अधिसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा:–

1. लकड़ी के माध्यम से अंत्येष्टि हेतु दाह गृह का निर्माण शेड के साथ करना।
2. शवदाह स्थल को पेवर ब्लॉक से आच्छादित करना।
3. आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था शेड सहित करना ।
4. पेयजल, शौचालय एवं स्नानागार की व्यवस्था।

ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2026–27 में इसे प्राथमिकता के आधार पर GPDP में शामिल करेंगी। इसका मानक प्राक्कलन एवं नक्शा अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

इस पर होने वाला व्यय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के मद से प्राप्त राशि द्वारा किया जाएगा। निर्माण के उपरांत इसके संचालन से संबंधित विस्तृत मार्ग–दर्शन पंचायती राज विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा।

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन

2/2/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–2प / वि०–17–02 / 2026 / 1344 / पं०रा० पटना, दिनांक 2 / 2 / 2026
प्रतिलिपि:–सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–2प / वि०–17–02 / 2026 / 1344 / पं०रा० पटना, दिनांक 2 / 2 / 2026
प्रतिलिपि:–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

(19)

पत्र सं0–2प/विविध–17–149/2025/ 470 /पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 12/1/2026

विषयः– ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में अवस्थित शवदाह गृह/मुक्तिधाम की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–1587 दिनांक 16.12.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे। उक्त संकल्प के माध्यम से सात निश्चय–03 (2025–2030) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत मार्ग–दर्शन निर्गत है।

उक्त संकल्प की कंडिका–7 के अंतर्गत सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living) के तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर कार्य किया जाना है।

इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए ग्राम पंचायतों में अवस्थित एवं संचालित शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित सूचनाएं संग्रहण करने के उद्देश्य से एक Google Sheet तैयार किया गया है।

अतएव अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों में अवस्थित शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित सूचनाएं Google Sheet में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही भौतिक प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन

12/1/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

कृ०पृ०उ०

(18)

ज्ञापांक–2प / विविध–17–149 / 2025 / 470 / पं०रा० पटना, दिनांक 12/1/2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि उक्त से संबंधित सूचना समेकित कर यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(नजर हुसैन) 12/1/26
अपर सचिव